मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005 (राज.)

फोन नं: 0141-2228066 , 2228064 फैक्स नं 0141-2228065 वेबसाईट : www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

सीआईएन. :U24232RJ2011SGC035067 ई–मेल :: edprmsc@nic.in

क्रमांक : F.02(300)/RMSCL/Proc/VTM Test/NIB-23/2020/ 683 Dated:-03/05/21

कार्यालय आदेश

VTM Test Kit की दर संविदा के लिये ई बिड सूचना क्रमांक F.02(300)/RMSCL/Proc/VTM Test/NIB-23/2020/1602 Dated:-03.09.2020 आमंत्रित की गई एवं तकनीकी बिड दिनांक 14.09.2020 को खोली गई थी। इस बिड में मैसर्स Angstrom Biotech Pvt. ltd ने भाग लिया था।

फर्म M/s Angstrom Biotech PVT LTD के Responsive/Non responsive निर्धारण के सम्बन्ध में क्रय समिति की बैठक दिनांक 24.09.2020 में समिति ने फर्म द्वारा प्रस्तुत BSCIC द्वारा जारी ISO 13485:2016 certificate no. BN19831/18807 एवं GMP Certificate no. BU1871/1316 को संदेहास्पद मानते हुये उक्त certificates की वैद्यता की जांच औषधि नियंत्रक, राजस्थान, जयपुर, द्वारा करवायी जाने का निर्णय लिया गया।

औषधि नियंत्रक, राजस्थान, जयपुर ने जांच में पाया कि BSCIC certification Pvt. Ltd. द्वारा ISO 13485:2016 certificate no. BN19831/18807 एवं GMP Certificate no. BU1871/1316 दोनो प्रमाण पत्र BSCIC द्वारा जारी नहीं किये गये हैं तथा प्रमाण पत्र फर्जी हैं।

प्रकरण दिनांक 25.09.2020 को हुई क्रय समिति की बैठक मे रखा गया। Drug Controller, Rajasthan द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लेखित कारणों के आधार पर फर्म मैसर्स Angstrom Biotech PVT LTD को Non responsive माना जाकर VTM Test Kit की निविदा की वित्तीय बिड खोले जाने का निर्णय लिया गया। फर्म द्वारा बिड में Fake Certificate प्रस्तुत करने के कारण फर्म मैसर्स Angstrom Biotech PVT LTD के विरूद्व निविदा शर्तो के अनुसार कार्यवाही करने का भी निर्णय लिया गया। फर्म को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 13.11.2020 को पत्र लिखा गया। फर्म ने 21.11.2020 को जवाब प्रस्तुत किया जो कि स्पष्ट एवं संतोषप्रद नहीं पाया गया।

निविदा के Annexure VIII GUIDELINES FOR BLACKLISTING/DEBARRING OF PRODUCT OR SUPPLIER/COMPANY के अनुसार बिन्दू सख्या 1.1 "The tenderer who submits false, forged or fabricated documents or conceals facts with intent to win over the tender or procure purchase order; EMD of such tenderer firm will be forfeited and firm will be liable for debarring for a period of not Less than 2 years. The firm will also be liable for Legal action depending on the facts & circumstances of the case." एवं बिन्दू सख्या 4.1 "Each & every case of submission of false documents, failure to execute agreement, non-supply or quality failure, etc. will be referred to disciplinary committee of RMSC for examination on a case to case basis for making appropriate technical recommendation to Managing Director for further appropriate action." में प्रावधान हैं। अतः बिन्दू सख्या 4.1 में उल्लेखित प्रावधानुसार प्रकरण अनुशासनात्मक समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निणयार्थ प्रस्तुत किया गया।

अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 27.01.2021 में फर्म को सुनवाई का अवसर दिया गया परन्तु फर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। समिति ने "Annexure VIII GUIDELINES FOR BLACKLISTING/DEBARRING OF PRODUCT OR SUPPLIER/COMPANY के अनुसार बिन्दू सख्या 1.1 "The tenderer who submits false, forged or fabricated documents or conceals facts with intent to win over the tender or procure purchase order; EMD of such tenderer firm will be forfeited and firm will be liable for debarring for a period of not Less than 2 years." के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही करने की अनुशंषा की।

अतः अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 27.01.2021 की संस्तुतियों के दृष्टिगत एतद् द्वारा निम्न निर्णय लिये जाते है:–

1. फर्म Angstrom Biotech Pvt. ltd, को आरएमएससीएल की निविदाओं में भाग लेने के लिये आदेश की दिनांक से दो वर्ष के लिये विवर्जित किया जाता है।
2. फर्म की जमा बिड सिक्योरिटी राशि रू. 750000/- जब्त की जाती है।

प्रबन्ध निदेशक
आरएमएससीएल

क्रमांक : F.02(300)/RMSCL/Proc/VTM Test/NIB-23/2020/683 Dated:-03/5/21

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.एच.एम, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, पी.एच/आर.सी.एच/एच.ए/ए.आई.डी.एस/एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
6. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सीएल।
7. कार्यकारी निदेशक, (वित्त), आरएमएससीएल।
8. कार्यकारी निदेशक (क्यू. सी.), आरएमएससीएल।
9. विशेषाधिकारी, आरएमएससीएल ।
10. सम्बन्धित निविदादाता मैसर्स Angstrom Biotech Pvt. ltd, G1-1035, Phase III, RIICO Industries Area, Bhiwadi, Rajasthan 301019, mail- accounts@angstrombiotech.in, vinod@angstrombiotech.in, Contact 9810195942
11. Joint Director (IT), RMSC को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
12. रक्षित पत्रावली

कार्यकारी निदेशक (पी)
आरएमएससीएल

D:\D\NKS\Drug 2020\NIB 23 VTM\Office order.docx